हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 19 मई 2026, समय 13:05 (05 मिनट)

****

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य द्वारा श्री बिरला को संसद भवन में सौंपी गई। ।

उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज साइकिल से सफर किया और सवेरे सुखना लेक पहुंच कर सुबह की सैर की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उन्होंने उचित कदम उठाए हैं और साइकिल का प्रयोग भी शुरू किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम राज्यों के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने भी अपना काफिला छोटा ककार दिया है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए । बीजेपी नेताओं ने भी अपने काफिले को छोटा करते हुए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सफर करना शुरू कर दिया है ।उन्होंने विपक्ष से भी जनता के साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प में साथ देने की अपील की।

गौरतलब है कि श्री मोदी ने पश्चिम मध्य एशिया में चलते हालात के मद्देनजर हाल ही में देश से ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की थी।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर गत वर्ष 2 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार

के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी, जो पहली अगस्त, 2025 से प्रभावी हुई। भारत सरकार द्वारा गत 25 अगस्त के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा प्रदान की। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 1992 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू करने हेतु संशोधनों को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यभर में अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण को सुगम बनाना तथा ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।

मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग के हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को डेयरी फार्मिंग के उद्देश्य से 'शामलात' भूमि उपलब्ध कराने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

संशोधन के बाद, ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी

समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की 'शामलात देह' भूमि पट्टे पर देने की अनुमति होगी।

****

****